

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड



CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS

सीमा शुल्क आयुक्त का कार्यालय

OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CUSTOMS

सीमा शुल्क गृह, विल्लिंगटन आईलैंड, कोच्चिन-682009

CUSTOM HOUSE, WILLINGDON ISLAND, COCHIN-682009



Website: www.cochincustoms.gov.in
E-mail: commr@cochincustoms.gov.in

Control Room: 0484-2666422
Fax: 0484-2668468

F. No. S65/05/2018-19.CCU.Cus.Part—I

दिनांक Dated: 08.12.2020

सार्वजनिक सूचना संख्या PUBLIC NOTICE No: 19/2020

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 - सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के अंतर्गत प्रथम अपीलीय प्राधिकारी की नियुक्ति- से संबंधित।

Sub: Right to Information Act, 2005 – Appointment of First Appellate Authority under section 19(1) of RTI Act, 2005 - Reg

.....

व्यापारियों तथा सामान्य जनता को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि इस सीमाशुल्क से संबंधित आर.टी.आई. अपीलों के लिए सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के अंतर्गत प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का विवरण अधोलिखित है:

The General Public and Trade are hereby informed that the details of the First Appellate Authority under Section 19 (1) of the Right to Information Act, 2005 for the RTI appeals pertaining to this Custom House is furnished below:

अपीलीय प्राधिकारी का नाम तथा पता Name & Address of Appellate Authority	ई-मेल आई डी E-mail ID:	दूरभाष संख्या Phone No.	फैक्स संख्या Fax No.
डॉ. जे. हरीश सीमाशुल्क आयुक्त का कार्यालय, सीमाशुल्क गृह, विल्लिंगटन आईलैंड, कोचीन-09 Dr.Harish. J. O/o The Commissioner of Customs, Custom House, Willingdon Island, Cochin-09	dr.harish@nic.in	0484-2668366	0484-2668468

Sd/09.12.2020


(मोहम्मद यूसुफ Mohd.Yousaf)

(सीमाशुल्क आयुक्त COMMISSIONER OF CUSTOMS)

प्रतिलिपि Copy to:

- 1) मुख्य आयुक्त केंद्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क तथा सीमाशुल्क, तिरुवनंतपुरम ज़ोन
The Chief Commissioner, Central Tax, Central Excise &
Customs, Thiruvananthapuram Zone.
- 2) सभी उप आयु./सहा. आयु./अनुभाग/एयरपोर्ट/ए सी सी/पी ए डी/सी एस ई जेड/सी एस
एल/सी एफ एस All DCs/ ACs/ Sections/ Airport/ ACC/ PAD/ CSEZ/
CSL/ CFSs
- 3) ई डी आई अनुभाग को वेबसाईट में अपलोड करने हेतु EDI Section – for updating
the website./Individual/Notice Board

// ATTESTED //


(V. USHA) 9/12/2010
SUPERINTENDENT (CCU-RTI)